11.6.18 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजन
में अटल सेवा केन्द्र ग्रा.पं. पायला खुर्द
में पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। विपक्षीगण
को जरिये लोक अदालत नोटिस तामील हुई
प्राप्त हुए। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित
हो उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही पारित की
जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।
प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत
आदेश पृथक से लिखवाया जाकर संलग्न किया
और दाखिल दफ्तर किया गया।
पत्रावली फैसला संलग्न होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र पायलां खूर्द)

पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स. 101 / 2018

प्रार्थीगण

मगाराम पुत्र लूम्भाराम

जाति मेगवाल

निवासी– पांयला खूर्द

तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. जसराज पुत्र सोहनलाल
   जाति जाट निवासी पायंला खूर्द
   तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
2. हमीद पुत्र सुलेमान
3. इलियास खां पुत्र फकीरा खां
4. हबास खां पुत्र फकीरा खां
5. यूसूब खां पुत्र फकीरा खां
6. शहीदा बानों पत्नी फकीरा खां
7. हनीफ पुत्र नसीर
8. रमजान पुत्र नसीर
9. मुस्तान पुत्र नसीर
10. गीगा पुत्र नसीर
11. अल्लारख पुत्र नसीर
12. बगू पत्नी नसीर जाति मोयला
    कुम्हार निवासी पायंला खूर्द
    तहसील
    सिणधरी व जिला बाड़मेर
13. लीलादेवी पत्नी कानाराम कुम्हार
    निवासी पायंला खूर्द तहसील
    सिणधरी व जिला बाड़मेर
14. हकीम खां पुत्र इब्राहिम खां
15. कासम खां पुत्र इब्राहिम खां
16. सकीनों पत्नी बरकत खां जाति
    मुसलमान कुम्हार निवासी पायंला खूर्द
    तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर
17. मांगाराम पुत्र वगताराम
18. नगाराम पुत्र वगताराम
19. पूनमा पुत्र लुम्बा
20. मफतलाल पुत्र पदमाराम
21. शंकरलाल पुत्र पदमाराम
22. मीरों देवी पत्नी पदमाराम
    जाति कलबी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

निवासी पायंला खूर्द तहसील सिणधरी
व जिला बाड़मेर
23. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थितः–1.श्री डालूराम चौधरी वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2.विप्रार्थीगणः–एकतरफा।

आदेश

दिनांक–11.6.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272/4, 272/7 रकबा क्रमशः 24–14, 14–08 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा का चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272/4, 272/7 रकबा क्रमशः 24–14, 14–08 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272/4, 272/7 रकबा क्रमशः 24–14, 14–08 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थी की

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272/4, 272/7 रकबा क्रमशः 24–14, 14–08 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।

4.हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272/4, 272/7 रकबा क्रमशः 24–14, 14–08 बीघा भूमि का प्रार्थी आवगी खातेदार दर्ज है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2071 से 2074 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवानां चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5.लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272/4, 272/7 रकबा क्रमशः 24–14, 14–08 **बीघा** के सम्बन्ध में सीमाज्ञान की पूर्व में तहसीलदार सिणधरी कार्यवाही करावें। प्रार्थी नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क वहन करेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर समा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11/6/18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner